प्रिय मतदाता,

आप निर्वाचन सूची में अपने नाम एवं मतदान केन्द्र की जानकारी निम्न रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

(क) अपने मोबाईल में **message box** में टाईप करें **ELE <space> 10 डिजिट** का **Voter I.D** कार्ड संख्या एवं **56677** पर मैसेज करें।

(ख) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट **www.ceobihar.nic.in** पर **search your name** के माध्यम से।

(ग) किसी प्रकार की जानकारी के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के टॉल फ्री नंबर राज्य स्तरीय हेल्पलाईन नंबर **18003451950** पर फोन करें, अथवा

(घ) किशनगंज जिला स्तरीय हेल्पलाईन नंबर–**06456–225152**/ निर्वाचन नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या–**06456–223778** पर फोन कर सकते हैं।

स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला निर्वाचन प्रशाखा)

–:: ***आम सूचना*** ::–

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के ज्ञापांक 5625, दिनांक 29.09.2015 के आलोक में किशनगंज जिलान्तर्गत सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 05.11.2015 को निर्धारित मतदान के दिन सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखायेंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :–

(i) पासपोर्ट।
(ii) ड्राइविंग लाइसेंस।
(iii) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
(iv) बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक।
(v) पैन कार्ड।
(vi) आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड।
(vii) मनरेगा जॉब कार्ड।
(viii) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
(ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।
(x) निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची एवं
(xi) सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान–पत्र।

यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाऐंगे वशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए।

यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त दस्तावेजों में से किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, किशनगंज।

विधान सभा निर्वाचन, 2015 में अपने परिवार
एवं मित्रों के साथ वोट आवश्य करें।